/

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांकः–एफ–13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/ 457 दिनांक 10.06.2025

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
   आयुक्त नगर–निगम समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
   संयुक्त/उपनिदेशक,
   आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
   जिला समस्त।

विषयः– जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित)– 30 दिवस से एक वर्ष तक विलंबित पंजीकरण के लिए अनुज्ञा जारी करने के संबंध में।

महोदय,

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (2) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(2) के प्रावधान के अनुसार अनुज्ञा जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है और इसके अनुसरण में शहरी क्षेत्र में जिला रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी की जा रही है। परन्तु निदेशालय से विभाग के अधिकारियों द्वारा जिलों पर राजकीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की वर्तमान में जिलों की पंचायत समितियों में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा हेतु जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की विलंबित इत्तिला (30 दिवस से एक वर्ष) में आवेदको से लिए जाने वाले प्रारूप एवं दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई है।

उपरोक्त क्रम में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13 (2) एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 (2025 में संशोधित) के नियम 9(2) के अर्न्तगत शहरी क्षेत्र में जिला रजिस्ट्रार एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी करने से पूर्व आवेदक से निम्न दस्तावेज लिए जाने है।

- आवेदक का जन्म/मृत्यु की घटना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र
- अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र (पाई पेपर पर नोटेरी सत्यापित नही)
- विलिम्बत इतिला देने के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (प्ररूप संख्या–14)

योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113
ई–मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

- रजिस्ट्रार द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (प्ररूप संख्या–10)
- 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणीकरण मय उनकी पहचान सम्बन्धित दस्तावेज

या

- जन्म–मृत्यु की घटना का सत्यापन ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा (जाँच रिपोर्ट)

या

- जन्म–मृत्यु की घटना का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच एवं वार्ड पंच द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा (जाँच रिपोर्ट)

अतः आपको निर्देर्शित किया जाता है कि अनुज्ञा जारी करने से पूर्व उक्तानुसार आवेदक से दस्तावेज प्राप्त करेगें और दस्तावेजों की एवं तथ्यों से पूर्ण संतुष्टि उपरान्त जन्म/मृत्यु की अनुज्ञा जारी कर रिकार्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ–13/4/8/वी.एस./डीईएस/2020/ 457 दिनांकः 10.06.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर समस्त।
2. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अनुज्ञा जारी करने से पूर्व उक्तानुसार आवेदक से दस्तावेज प्राप्त करेगें और दस्तावेजों की एवं तथ्यों से पूर्व संतुष्टि उपरान्त जन्म/मृत्यु की अनुज्ञा जारी कर रिकार्ड संधारण करना सुनिश्चित करेगें।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/ऑफिस नं. 5167113
ई–मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by VINESH SINGHVI <Aao.des@rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Vinesh Singhvi
Designation: Director and Joint Secretary
Date :09-06-2025 06:26:06